उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2007]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ तथा संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 2 अगस्त, 2007 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2007 के रूप में दिनांक 3 अगस्त, 2007 को प्रकाशित किया गया।]

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 को निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2006 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन अयोग अधिनियम, 2006 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2007 का निरसन

3–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन अयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2006) अधिनियम ने राज्य में अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये किया गया था। उक्त अधिनियम के सरकार/निगम/बोर्ड के अधीन समूह 'ग' की सेवाओं के पदों पर चयन के लिये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन को स्थापित और सशक्त किया गया था। चूंकि उक्त अधिनियम में अनेक कमियां थी अतः आयोग समुचित रूप से नहीं कर पा रहा था और जिस उद्देश्य के लिये आयोग को स्थापित किया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी आयोग की स्थापना हुये एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया था किन्तु आयोग की कार्यप्रणाली और भर्ती को प्रक्रिया की जटिलता के कारण आयोग द्वारा कोई भर्ती नहीं की गयी थी। अत्तएव, यह विनिश्चय किया गया कि अधिनियम को निरसित कर दिया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चिय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिये विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्ण 6 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।